

**न्यायालय :- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्याया. के द्वितीय अति.
न्यायाधीश, श्रृंखला न्याया.चंदेरी जिला – अशोकनगर (म.प्र.)
॥ समक्ष – राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥**

संस्थित दिनांक-17.07.2014

सत्रवाद क.-112/2014

सी.आई.एस.क.-115/2017

म.प्र.राज्य द्वारा,
आरक्षी केंद्र पिपरई,
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

॥ विरुद्ध ॥

- 1- निहाल पुत्र दिलीप सिंह लोधी, उम्र-51 साल
 - 2- लक्ष्मण पुत्र मोहन सिंह लोधी, उम्र-46 साल
 - 3- मोहन पुत्र समरथ सिंह लोधी, उम्र-76 साल
 - 4- दिलीप पुत्र समरथ सिंह लोधी, उम्र-71 साल
- निवासीजन-ग्राम मोहरी, थाना पिपरई,
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

..... **अभियुक्तगण**

न्यायालय :-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंदेरी (श्री दीपक चौधरी) अशोकनगर
के आपराधिक प्रकरण क्रमांक-545/2012 में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 16.07.
2014 से उद्भूत यह सत्र प्रकरण।

अभियोजन की ओर से :- श्री मुकेश राजपूत अति. लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण की ओर से :- श्री जाफरी अधिवक्ता।

-:: नि र्ण य ::-

(आज दिनांक 21.06.2018 को घोषित किया गया)

1. आरोपीगण के विरुद्ध थाना पिपरई के अपराध क्र.-190/12 में धारा 323
विकल्प में 323/34 (दो बार), 294, 341, 506 बी भादसं. का अपराध पंजीबद्ध है
कि दिनांक 02.10.2012 को दोपहर तीन बजे के लगभग थाना पिपरई अंतर्गत ग्राम
मनहारी के मौजा में आरोपीगण ने फरियादीगण को मारपीट करने का सामान्य
आशय निर्मित किया और उसी सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी अनंत
सिंह एवं रामचरण को स्वेच्छया उपहति कारित की एवं दिशा विशेष में जाने से
निवारित कर सदोष अवरोध कारित कर लोकस्थान पर अश्लील गालियां उच्चारित
कर क्षोभ कारित किया एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास

कारित किया।

2. प्रकरण में कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकृत नहीं है। प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर धारा 323, 323/34,341, 506 बी भादवि. में राजीनामा हो जाने से उक्त धारा अंतर्गत आरोपीगण को उक्त धाराओं में अपराध का शमन कर दोषमुक्त किया गया है। परंतु धारा 294 भा.द.वि. अशमनीय होने से उसके संबंध में प्रकरण में विचार किया जा रहा है।

3. अभियोजन घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.10.2012 को दोपहर लगभग 03:00 बजे थाना फरियादी अपने खेत में सोयाबीन काटने गया था। जैसे ही वह पहुंचे तो आरोपीगण मोहन सिंह, दिलीप सिंह, लक्ष्मण सिंह एवं निहाल सिंह लाठियां लेकर आए और फरियादीगण को रोक लिया। आरोपी निहाल बोला मादर चोदों तुम्हे सोयाबीन कटवाते है। चारों आरोपीगण मां-बहिन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे। गालियां देने से मना किया तो निहाल ने लाठी मारी जो रामचरण को आंख के उपर लगी खून निकल आया, लक्ष्मण ने अनंत सिंह के सिर में लाठी मारी चोट होकर खून निकल आया। दिलीप सिंह ने दाहिने हाथ में लाठी मारी जिससे मुंदी चोट आई, अनंत सिंह को लक्ष्मण सिंह ने बाए पैर में लाठी मारी मुंदी चोट आई। चारों आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी थी। फिर फरियादी ने जाकर थाना पिपरई में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जो अपराध क्र.-190/12, धारा 341, 323, 294, 506 बी, 34 भादसं. के तहत पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान नक्शा मौका, जप्ती पंचनामा, गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया एवं साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.12.12 को प्रस्तुत किया गया।

4. आरोपीगण पर पद क्र.-1 के अनुसार आरोप पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपीगण ने अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा, उनकी प्ली अंकित की गई। धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत किए गए अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण का कहना है कि वह निर्दोष है, उन्हें रंजिशवश झूठा फसाया है। अभियुक्तगण की ओर से बचाब में साक्ष्य पेश न करना व्यक्त किया गया।

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

01.	क्या, दिनांक 02.10.2012 को दोपहर तीन बजे के लगभग थाना पिपरई अंतर्गत ग्राम मनहारी के मौजा में आरोपीगण ने फरियादीगण को लोकस्थान पर अश्लील गालियां उच्चारित कर क्षोभ कारित किया ?
-----	--

विचारणीय प्रश्न की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार :-

5. इस संबंध में प्रकरण के फरियादी रामचरण लोधी अ.सा-1 का कथन

है कि वह और अनंत सिंह खेत पर सोयाबीन काट रहे थे, आरोपीगण खेत पर आए और उसे व अनंत सिंह को मारने लगे और मां-बहिन की गालियां देने लगे और जान से मारने की धमकी दी। आरोपीगण ने उनके साथ लाठी से मारपीट की जिससे उन्हें शरीर पर हाथ और पैरों में चोटें आईं। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र. पी-1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उन्हें पिपरई अस्पताल में डाक्टरी के लिए भेजा था। नक्शा मौका प्र.पी-2 पर हस्ताक्षरों को प्रदर्शित व प्रमाणित करता है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी की साक्ष्य अखण्डित रही है।

6. साक्षी अनंत सिंह अ.सा-2 ने कथन किया है कि वह और रामचरण सोयाबीन की फसल काटने जा रहे थे तो आरोपी निहाल ने रामचरण को मां-बहिन की गालियां दी और लाठी मारी जो चोट होकर आंख में खून निकल आया था एवं कमर में भी लाठी मारी थी। आरोपी लक्ष्मण ने सिर व पैर में उसे लाठी मारी थी। आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी थी। वह थाने पर रिपोर्ट करने गया था। पुलिस ने इलाज हेतु अस्पताल पिपरई भेजा था। इस साक्षी के कथनों का समर्थन साक्षी चंदन लोधी अ.सा-3 ने किया है किंतु यह साक्षी आरोपीगण द्वारा फरियादीगण को अश्लील गालियां देने के संबंध में कोई कथन नहीं करता है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी की साक्ष्य अखण्डित रही है।

7. प्रकरण में फरियादीगण के प्रतिपरीक्षण में उभय पक्षों के मध्य जमीनी विवाद पर से रंजिश होना स्वीकृत रूप से आया है। प्रकरण के फरियादी रामचरण लोधी एवं अनंत सिंह ने अपने कथनों में आरोपीगण द्वारा मां-बहिन की गालियां देना बताया है। किंतु किस प्रकार की गालियां दी गई थी, जिससे फरियादीगण को क्षोभ कारित हुआ हो ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण के स्वतंत्र साक्षी चंदन सिंह के द्वारा आरोपीगण द्वारा कोई अश्लील गालियां उच्चारित की गई हो ऐसा अपने कथनों में नहीं बताया गया है। धारा 294 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु यह आवश्यक है कि किसी लोकस्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवाड़े या शब्द गायेगा, सुनायेगा या उच्चारित करेगा, जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो। प्रश्नगत् प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में फरियादीगण रामचरण लोधी अ.सा-1 एवं अनंत सिंह अ.सा-2 के द्वारा अपनी साक्ष्य में गालियां दिया जाना बताया है। किंतु किस प्रकार की गालियां उच्चारित की गई थी, जिससे क्षोभ कारित हुआ, यह नहीं बताया गया है। प्रकरण के स्वतंत्र साक्षी चंदन सिंह अ.सा-3 ने इस संबंध में कोई समर्थन नहीं किया है।

8. ऐसी स्थिति में स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में फरियादी रामचरण अ.सा-1 व अनंत सिंह अ.सा-2 द्वारा विचारणीय बिंदु के संबंध में दी गई साक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को नहीं मिलता है। अतः उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन घटना संदेहास्पद हो गई है। संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायोचित है। अतः अभियोजन युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 02.10.2012 को दोपहर तीन बजे के लगभग थाना पिपरई अंतर्गत ग्राम मनहारी के मौजा में फरियादीगण को

लोकस्थान पर अश्लील गालियां उच्चारित कर क्षोभ कारित किया। परिणामतः अभियुक्त निहाल पुत्र दिलीप सिंह, लक्ष्मण पुत्र मोहन सिंह, मोहन सिंह पुत्र समरथ सिंह एवं दिलीप पुत्र समरथ सिंह को धारा 294 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

9. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति लाठी को अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने पर माननीय अपीली न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित,
घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया

मेरे आलेख में टंकित किया गया

॥ राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥

प्र.अ.जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अशोकनगर के न्यायालय के द्वि.अति.
सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय
चंदेरी, जिला अशोकनगर

॥ राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥

प्र.अ.जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अशोकनगर के न्यायालय के द्वि.
अति.सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला
न्यायालय चंदेरी, जिला अशोकनगर

प्रतिलिपि :-

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंदेरी, जिला-अशोकनगर (श्री आसिफ अहमद अब्बासी) द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्र.-88/2011 म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी विरुद्ध हरदयाल आदि, में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2018 के संदर्भ में मूल दांडिक प्रकरण सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

॥ राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥
प्र.अ.जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के
न्यायालय के द्वि.अति.सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला
न्यायालय चंदेरी, जिला अशोकनगर